2025/138

फर्द –अहकाम

अज अदालत उपखंड अधिकारी एवं उपजिला मजि० मुकाम बामनवास

उर्मिला बनाम काडूराम वगै०

किस्म मुकदमा. :– टी.आई. मु०न०. 51 11/06/2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

/2025 यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा सायल की ओर से लक्ष्मीकांत शर्मा एड. के द्वारा पेश किया गया जो बाद रिपोर्ट आज पेश हुआ रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया । वकील सायल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र टी.आई. पर स्थगन चाहने बाबत निवेदन किया गया । टी.आई. प्रार्थना पत्र पर बहस वकील सायल की सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील सायल ने अपनी बहस के दौरान अवगत कराया है कि विवादित भूमि सायल की सहखातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जिस पर गैरसायलान द्वारा व्यवधान पैदा किया जा रहा है । पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे प्रतीत होता है । पक्षकारो के मध्य विवाद आगे बढने से रोकने हेतु अप्रार्थीगण को यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है

अतः आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.7.2025 तक गैर सायल वगै. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम टुण्डिला तहसील बामनवास के हाल आराजी ख.न. 500,505,506,507,508,509, कुल किता 6 रकवा 0.81 हेक्टर बाके ग्राम शेरपुरदोनाय मे सायल के हक हिस्से तक की भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न तो स्वंय कर न किसी अन्य से करावे एवं रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे । तथा बेचान नही करे ।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल की तलवी जरिये रजिस्ट्री एडी से की जाकर पत्रावली दिनांक 21.7.2025 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

21.7.25 उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 23-9-25 को पेश हो।

रीडर

23.7.25 आज पत्रावली तलब ... वकील सायल एवं सायल स्वयं उप. / वकील सायल को ... मूल दावा निरस्त किया जा चुका है / अतः T.I प्रा. पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.08.14 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नहीं है। अतः वकील सायलान का T.I. प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.08.14 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner